# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 00022 / 2019 जिला–नागौर**

1 दूलाराम पुत्र डूंगरराम
2 भोमाराम पुत्र डूंगरराम
3 उगमाराम पुत्र डूंगरराम
4 मांगीलाल पत्र राजूराम
5 कुमाराम पुत्र चोखाराम
6 कालूराम पुत्र चोखाराम
7 सुगनाराम पुत्र चौखाराम
8 हुक्माराम पुत्र जगरामाराम
समस्त निवसीगण गाम मीठा मांजरा तहसील जायल जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

## बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

–––प्रत्यर्थी

2. बिरमाराम पुत्र पन्नाराम
3. चुनाराम पुत्र पन्नाराम
4. पुखराज पुत्र सुगननाथ
5. मदननाथ पुत्र सुगननाथ
6. धन्नानथ पुत्र सुगननाथ
7. लिछमा देवी पत्नी सुगननाथ
8. सेवानाथ पुत्र राजनाथ
9. हरजीराम पुत्र जगरामाराम (फौत)
10. चंदा पुत्री जगरामाराम
11. धापू पुत्री जगरामाराम
12. सोहनराम पुत्र पालाराम
13. रामेश्वर लाल पुत्र पालाराम
समस्त निवासी मीठा मांजरा तहसील जायल जिला नागौर।

––––तरतीबी प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, जायल दिनांक 17–02–2017
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना संख्या 09 / 2017
बउनवान सरकार बनाम बिरमाराम

उपस्थित– 1. श्री सुमित जैन अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

# निर्णय

दिनांकः–07–09–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, जायल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जायल के समक्ष चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 के तहत ग्राम मीठा मांजरा के भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 46.05 बीघा, खसरा नम्बर 372/32 रकबा 29.03 बीघा, खसरा नम्बर 32 रकबा 42.10 बीघा, खसरा नम्बर 17/1 रकबा 21.10 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 24.10 बीघा, खसरा नम्बर 17/2 रकबा 18.10 बीघा, खसरा नम्बर 16 रकबा 32.01 बीघा की खातेदारी भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्तमान अपीलार्थीगण व तरतीबी प्रत्यर्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है जो कि रास्ते के रूप मे कम आ रही है तथा धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम के तहत मानचित्र एवं फील्ड बुक का संधारण एवं धारा 132 में वार्षिक रजिस्टर में संधारण का प्रावधान है इसके अतर्गत भू–सम्पत्ति या खेत की सीमओं के सभी परिवर्तनों को नक्शे पर लेने का दायित्व है। राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 के तहत नक्शे में दुरूस्ती का प्रावधान है। नजरी नक्शें में चालू रास्ते का अंकन का प्रावधान किया गया है। तहसीलदार जायल द्वारा चालू स्थाई सर्वजनिक रास्तों का जमाबंदी एवं नक्शे में अंकन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो उपखड अधिकारी, जायल द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–02–2017 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकर कर ग्राम मीठा मांजरा में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा इस विधिक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि किसी भी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार की आराजियात को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आराजियात की किस्म को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र के आधार पर बिना रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजियात में से गैर मुमकिन रास्ता

दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु को भी दरकिनार कर दिया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण की खातेदारी की आराजियात में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी भी काश्तकारी की आराजी की किस्म का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है यदि भूमि की किस्म परिवर्तन करना है तो उसके लिए संबंधित पक्षकार को नियमित वाद प्रस्तुत कर ही परिवर्तन किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकन को केवल समरी प्रकिया के माध्यम से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण विवादित अराजियात के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है को बिना सम्मन तामील करवाये एवं नोटिस दिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी तहसीलदार जायल के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्ययालय द्वारा पारित आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 मे प्रदत्त निर्देशों के क्रम में ऐसे चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं जो विधिसम्मत है। उक्त रास्ता पूर्व में सार्वजनिक चालू रास्ता रहा है, के आधार पर ही गैर मुमकिन रस्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार तरमीम करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर वर्तमान खातेदरों के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि धारा 22 के तहत पक्षकारों को नोटिस अलग–अलग तामील होने चाहिए। अपीलार्थीगण को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई किये आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, जायल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, जायल के समक्ष चालू स्थाईसार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 के तहत ग्राम मीठा मांजरा के भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 46.05 बीघा, खसरा नम्बर 372/32 रकबा 29.03 बीघा, खसरा नम्बर 32 रकबा 42.10 बीघा, खसरा नम्बर 17/1 रकबा 21.10 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 24.10 बीघा, खसरा नम्बर 17/2 रकबा 18.10 बीघा, खसरा नम्बर 16 रकबा 32.01 बीघा की खातेदारी भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार वर्तमान अपीलार्थीगण व तरतीबी प्रत्यर्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है जो कि रास्ते के रूप मे कम आ रही है तथा उक्त रास्ता एक ग्राम से दूसरे ग्राम में आवागमन हेतु जनउपयोगी है तथा ग्रामवासी उक्त रास्ते से आते जाते रहते है। विवादित आराजियात निजी खातेदारी की भूमि होने से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगी इससे अपीलार्थीगण के हक प्रभावित नहीं होंगे तथा ग्रामवासियों के आवागमन हेतु उक्त रास्ता जनसुविधार्थ है। अधीनस्थ न्यायालय ने शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(21)राज. 6/2003/पार्ट–04 दिनांक 10–08–2016 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3(1) व राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 17–9–1956 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में धारा 131, 132, 136 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम मीठा मांजरा को नजरी नक्शेनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शेनुसार नक्शे में तरमीम करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर वर्तमान खातेदारों के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जो जनसुविधा को देखते हुए उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–02–2022 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–02–2022 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2017 बउनवान सरकार बनाम बिरमारम व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(भवंर लाल मेहरा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**